

4/4/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठारीन अधिकारी
महोदय अवकाश में है /राजकीय भ्रमण पर है।

अतः पत्रावली दि. 2/6/25 को पेश हो।

8

21/6/25

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधि. उप.
प्रा. पत्र-घाश-5 पर सजिद बख्त चुनी गई
पत्रावली वाटे आवेश प्रा. पत्र दि. 21/6/25
को पेश हो।

5/6/25

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप.
मामले में उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रा.
पत्र अंतर्गत घाश 05 मयाद अधिनियम
पर की गयी बहस पर चिंतन व मनन
किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर अलख
रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर
आया कि प्रार्थिगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र
में पादगुस्त भूमियों की अपनी पेटक दीना
अंकित किया है किन्तु प्रार्थिगण द्वारा प्रकरण
में ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया
गया है जो यह साबित करें कि प्रार्थिगण
मूल खातेदार हीरा डांगी की विधिक वारिसान
ही और ना ही प्रकरण में हीरा डांगी का
सपरा ही प्रमाणित कराया गया है। जहां तक
प्रार्थना पत्र के मूल उद्देश्य मयाद अवधि का
प्रश्न है तो प्रार्थिगण की प्रकरण के सभी
तथ्यों की जांच में जानकारी कब व किस
दिनांक की कैसे हुई। ना ही नामान्तरण फेल
होने की दिनांक ही अंकित की गयी है।
प्रार्थिगण द्वारा अपील के विलंब में प्रस्तुत
करने का कोई पर्याप्त कारण भी अंकित

— निरंतर —

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) नाथद्वारा, जि. राजसमन्द (राज.)

प्राची वालीबाई विपक्षी मा. प. छिलीता
 किसम मुकदमा अपील पत्रावली संख्या 2022/82 पद

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>नहीं किया गया है और ना ही यह अंकित किया गया है कि प्रार्थिगण को किस दिनांक से लेकर किस दिनांक तक की अवधि की मयाद में शुमार करना चाहते हैं। साथ ही प्रार्थिगण द्वारा अपील समय पर प्रस्तुत नहीं करने का ऐसा कोई कारण भी अंकित नहीं किया है जो मानवीय नियमन के बाहर हो तथा प्रार्थिगण की विवर्धन की अवधि का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि यह मात्र प्रार्थिगण पर ही ऐसी स्थिति में प्रार्थि का प्रार्थना पत्र मैन्टेनेबल नहीं होने विधि से वर्जित हो स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र अंकीय द्वारा 05 मयाद अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। चूंकि मामले में द्वारा 05 मयाद अधिनियम अस्वीकार हो अपील अपीलान्त मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली केवल शुमार ही नंबर से फम की जावे।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 नाथद्वारा (राजसमन्द)